

प्ररूप – 5

[नियम 10(2)]

सामाजिक जांच रिपोर्ट के लिए आदेश

प्र.सू.रि. संख्या _____

धारा के अधीन _____

पुलिस स्टेशन _____

सेवा में,

परिवीक्षा अधिकारी/स्वैच्छिक अथवा गैर-सरकारी संगठन का प्रभारी व्यक्ति ।

_____ (बालक का नाम) पुत्र/पुत्री _____ आयु _____ निवासी _____ को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है ।

आपको एतद्वारा निर्देश दिया जाता है कि उक्त बालक द्वारा तथाकथित अपराध के सामाजिक पूर्ववृत्त, पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा परिस्थितियों की जांच कर लें और अपनी सामाजिक जांच-पडताल रिपोर्ट _____ को अथवा _____ से पूर्व, अथवा बोर्ड द्वारा आपको दिए गए समय के अंदर प्रस्तुत करें।

आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि बाल-मनोविज्ञान, मानसिक उपचार अथवा परामर्शी अथवा अन्य किसी विशेषज्ञ से, यदि आवश्यक हो, परामर्श कर लें और अपनी सामाजिक जांच रिपोर्ट के साथ ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

हस्ताक्षर

तारीख :

प्रधान मजिस्ट्रेट/सदस्य किशोर न्याय बोर्ड